



# Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College Ghaziabad

AISHE CODE : C-28591

Number of seats filled year wise during last five years  
(Only first year admissions to be considered)

YEAR	NO OF SEATS SANCTIONED	NO OF STUDENTS ENROLLED IN THE UNIVERSITY
2022-23	1235	809
2021-22	1065	636
2020-21	925	573
2019-20	925	728
2018-19	925	669

2022-23			
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	34
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	59
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	180	136
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Schscience	120	21
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	64
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	100
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	38
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	47
MASTER OF SCIENCE (MATHS)	M.Sc-MATHS	60	25
BACHELOR OF ARTS	B.A	140	120
MASTER OF COMPUTER APPLICATION	M.C.A	45	20
BACHELOR OF COMMERCE(HONOURS)	B.COM(HONS.)	60	49
MASTER OF SCIENCE (Zoology)	M.Sc -Zoology	60	48
MASTERS OF EDUCATION	M.ED	50	48
<b>TOTAL</b>		<b>1235</b>	<b>809</b>
2021-22			
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	42
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	53

Affiliated to C.C.S. University, Meerut and AKTU, Lucknow  
(Approved by NCTE and AICTE)

Campus 1: C-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode-201003 U.P. (India)

Campus 2: A-6 (II), Sector-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode - 201003 U.P. (India)

E-mail: rccvpgcollege10@gmail.com . rccvnaac@gmail.com Phone No: 0120-4163604

Dr. NEETU CHAWLA  
PRINCIPAL

Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College  
C-22, Meerut Road, Ghaziabad





# Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College Ghaziabad

AISHE CODE : C-28591

BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	180	189
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.SchScience	120	18
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	62
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	100
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	45
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	39
MASTER OF SCIENCE (MATHS)	M.Sc-MATHS	60	20
BACHELOR OF ARTS	B.A	140	45
MASTER OF COMPUTER APPLICATION	M.C.A	45	23
<b>TOTAL</b>		<b>1065</b>	<b>636</b>

## 2020-21

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	76
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	63
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	240	214
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.SchScience	120	13
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	30
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	68
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	45
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	42
MASTER OF COMPUTER APPLICATION	M.C.A	45	22
<b>TOTAL</b>		<b>925</b>	<b>573</b>

## 2019-20

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	104
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	84
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	240	259
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.SchScience	120	18
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	41
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	99
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	47
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	59
MASTER OF COMPUTER APPLICATION	M.C.A	45	17
<b>TOTAL</b>		<b>925</b>	<b>728</b>

*(Signature)*  
24/11/23  
**Dr. NEETU CHAWLA**  
**PRINCIPAL**  
Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College  
C-22, Meerut Road, Ghaziabad

**Affiliated to C.C.S. University, Meerut and AKTU, Lucknow**  
**(Approved by NCTE and AICTE)**

**Campus 1:** C-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode-201003 U.P. (India)

**Campus 2:** A-6 (II), Sector-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode - 201003 U.P. (India)

**E-mail:** rccvpggcollege10@gmail.com . rccvnaac@gmail.com **Phone No:** 0120-4163604



# Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College Ghaziabad

AISHE CODE : C-28591

2018-19			
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	114
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	75
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	240	249
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Schscience	120	12
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	28
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	98
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	38
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	37
MASTER OF COMPUTER APPLICATION	M.C.A	45	18
TOTAL		925	669

  
**Dr. NEETU CHAWLA**  
**PRINCIPAL**  
Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College  
C-22, Meerut Road, Ghaziabad

**Affiliated to C.C.S. University, Meerut and AKTU, Lucknow  
(Approved by NCTE and AICTE)**

**Campus 1:** C-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode-201003 U.P. (India)

**Campus 2:** A-6 (II), Sector-22, Meerut Road, Ghaziabad. Pincode - 201003 U.P. (India)

**E-mail:** rccvpgcollege10@gmail.com . rccvnaac@gmail.com **Phone No:** 0120-4163604





चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



COLLEGE:- RAM CHAMELI CHADHA VISHVAS GIRLS COLLEGE, GHAZIABAD TOTAL ENROLLED STUDENTS SESSION 2022-23

2022-23			
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted/Enrolled
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	34
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	59
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	180	136
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Sc Hscience	120	21
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	64
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	100
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	38
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	47
MASTER OF SCIENCE (MATHS)	M.Sc-MATHS	60	25
BACHELOR OF ARTS	B.A	140	120
BACHELOR OF COMMERCE(HONOURS)	B.COM(HONS.)	60	49
MASTER OF SCIENCE (Zoology)	M.Sc -Zoology	60	48
MASTERS OF EDUCATION	M.ED	50	48



  
Dr. NEETU CHAWLA  
PRINCIPAL  
Ram Chameli Chadha Vishwas Girls College  
C-27, Ghaziabad



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut




COLLEGE:- RAM CHAMELI CHADHA VISHVAS GIRLS COLLEGE, GHAZIABAD TOTAL ENROLLED STUDENTS SESSION 2021-22

2021-22

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted/Enrolled
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	42
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	53
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	180	189
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Sc Hscience	120	18
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	62
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	100
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	45
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	39
MASTER OF SCIENCE (MATHS)	M.Sc-MATHS	60	20
BACHELOR OF ARTS	B.A	140	45



  
Dr. NEETU CHAWLA  
PRINCIPAL  
Ram Chameli Chadha Viswas Girls College  
C-22, Meerut Road, Ghaziabad

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



COLLEGE:- RAM CHAMELI CHADHA VISHVAS GIRLS COLLEGE, GHAZIABAD TOTAL ENROLLED STUDENTS SESSION 2020-21

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted/Enrolled
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	76
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	63
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	240	214
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Sc Hscience	120	13
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	30
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	68
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	45
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	42



  
Dr. NEETU CHAWLA  
PRINCIPAL  
Ram Chameli Chadha Viswas Girls College  
C-22, Meerut Road, Ghaziabad



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



COLLEGE:- RAM CHAMELI CHADHA VISHVAS GIRLS COLLEGE, GHAZIABAD TOTAL ENROLLED STUDENTS SESSION 2019-20

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted/Enrolled
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	104
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	84
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	240	259
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Sc Hscience	120	18
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	41
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	99
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	47
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	59



  
Dr. NEETU CHAWLA  
PRINCIPAL  
Ram Chameli Chadha Viswas Girls College  
C-22 Meerut Road, Ghaziabad

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut




COLLEGE:- RAM CHAMELI CHADHA VISHVAS GIRLS COLLEGE, GHAZIABAD TOTAL ENROLLED STUDENTS SESSION 2018-19

2018-19

Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted/Enrolled
BACHELOR OF SCIENCE (MATHS)	B.SC(Maths)	120	114
BACHELOR OF SCIENCE-(BIO)	BSC (BIO)	60	75
BACHELOR OF COMMERCE	B.COM	240	249
BACHELOR OF HOME SCIENCE	B.Sc Hscience	120	12
BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION	B.C.A	120	28
BACHELOR OF EDUCATION	B.Ed	100	98
MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY)	M.Sc-Chem	60	38
MASTER OF COMMERCE	M.Com	60	37



  
Dr. NEETU CHAWLA  
PRINCIPAL  
Ram Chameli Chadha Viswas Girls College  
C-22, Meerut Road, Ghaziabad





अोगा0प0स0-828/15-11-95-21181/94

उत्तर प्रदेश शासन  
शिक्षा 1111 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 1995

प्रिय महोदय,

कृपया राम चमेली चव्हा विद्यालयन गर्ल्स डिग्री कालेज,  
गाजियाबाद को बी0एस0टी0 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने विषयक  
अपने पत्र दिनांक- 26.2.95 का अवलोकन करें ।

2. इस संबंध में मुझसे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि  
उ0प्र0 राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या- ई-1820/जी0एस0, दिनांक -  
23 मार्च, 1995 द्वारा उक्त कालेज को बी0एस0टी0 में 1.7.94 से  
3।तीन। वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जा  
चुकी है ।

रजिस्ट्रार,

भवदीय,

। दिलीप सहाय ।

श्री बी0बी0लाल,  
सेवा निवृत्त, आई0सी0एस0,  
63 ए, राजकज,  
गाजियाबाद ।

॥

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लाखनऊ-२२७१३२

4033  
संख्या 34/7/2008  
दिनांक 17/6/2008

प्रेषक,  
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
कुलसचिव,  
गिराई नरम शाह विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/६७१ दिनांक ४.३.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कदमों का निर्देश हुआ है कि महाप्रमुख कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन राम चमेली चढडा विश्वास मल्ल कालेज, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संग्रह के अन्तर्गत बायो एवं गणित पाठ्यक्रम में स्नातक पोषक योजनागत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -- २०५१/सत्तर-२-२००३-१६ (ए२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षामावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिरिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १६-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग लाखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ✓ ४. सचिव, राम चमेली चढडा विश्वास मल्ल कालेज, गाजियाबाद

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव



# चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

## Ch. Charan Singh University, Meerut:

राज्य प्रचारक  
राज्य सेवा यज्ञ विश्वास र्गलस कालिज,  
नाजयाबाद ॥३०५०॥

पत्रांक... 744/1/98  
दिनांक 26-11-98

विषय: स्नातक स्तर पर बी०काम० विषय में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति जी के विशेषा सचिव से प्राप्त पत्र संख्या ई०-8242/ जी०एस० दिनांक 10-11-98 के माध्यम से आपके महा विद्यालय में बी०काम० विषय में दिनांक 01-7-98 से आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्न प्रतिबन्ध के साथ अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

- 1- विश्वविद्यालय द्वारा सैन्धा से स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये
- 2- विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि महा विद्यालय में बी०काम० विषय में सम्बन्धित पुस्तकें मानक के अनुसार क्रय कर ली गयी हैं।
- 3- सैन्धा की प्रबन्धासमिति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है।
- 4- उपरोक्त शर्तों को पूर्ण कराने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
- 5- उक्त सम्बद्धता स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नहीं दी गयी है।

उक्त स्वीकृति के आधार पर, कुलाधिपति जी ने संदर्भित पाठ्यक्रम [बी०काम०] में शीघ्र शिकारिक सत्र 1998-99 से एक सैकशन में उक्त शर्तों के साथ ही साथ निम्न प्रतिबन्धों के साथ कक्षाएं आरम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की है:-

- 1- उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, उक्त शर्तों की पूर्ति के उपरान्त, प्रवेश नियमावली के अन्तर्गत, आरक्षण सम्बन्धी नीति को दृष्टिगत करते हुये किये जायेंगे।
- 2- प्रवेश प्रक्रिया पत्र प्राप्त से 15 दिनों के अन्दर पूर्ण की जायेगी।
- 3- शासन द्वारा जारी पत्र संख्या 1281/172-2-98-2(12) दिनांक 24/2/98 का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 4- उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न नियमों-परिनियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 5- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला समस्त व्यय भारत महा विद्यालय प्रबन्धासमिति द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

भावदीय,

*[Signature]*

प्रतिक्रिया:-

- 1- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, 66, विकास विहार, न्यू मोहनपुरी, मेरठ को सूचनाएं प्रेषित।
- 2- उप कुल सचिव [परीक्षा] को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- श्री जे०पी० खन्डपुरी, प्रभारी कौमी सैली को सूचनाएं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की आगामी बैठक में सूचनाएं प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

कुल सचिव



संयुक्त सचिवालय, उत्तर प्रदेश

4034

दिनांक 17/6

कृपया

श्री. कुशाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश

किसके

सचिवालय,  
राज्य शिक्षा सेवा आयोग,  
गोरखपुर

सविज्ञात

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/3322 दिनांक 20.3.2008 के संबंध में मुझे  
बताने का निदेश हुआ है कि महानगरीय कुशाधिपति महोदय ने उच्चशिक्षा वि  
अधिनियम, 1972 की धारा 29(2) के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत राम चमेली बछड़ा विश्वास  
गर्स कालेज, गाजियाबाद की स्नातक स्तर पर बी. कॉम पाठ्यक्रम में श्ववित्त पोषण योजना-निर्णय  
निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत दिनांक 20.3.2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति सर्व्व प्रदान कर दी है

1. सरणी अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आशानदेश संख्या 2020/संसार-2-  
2002-95 (दर)/2002, दिनांक 2 जुलाई, 02 में उल्लिखित विधा-निदेशों एवं  
समय-समय पर इस विषय में निर्गत आशानदेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा  
सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त योजनापालन द्वारा आशानदेश एवं अन्य सुसंगत विधियों  
का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षमावली में वांछित तथा शासन द्वारा निर्धारित  
शर्तों एवं प्रावधानों की पूर्णता एवं उक्तकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जावेगा तो  
उच्चशिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 1972 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को  
प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)  
कुशाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य उच्चशिक्षा सेवा आयोग, उच्चशिक्षा, गाजियाबाद।
2. प्रभुधर सूचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, राम चमेली बछड़ा विश्वास गर्स कालेज, गाजियाबाद।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

(राकेश कुमार ओझा)  
कुशाधिपति के विशेष सचिव



5

संस्था / जे.एस.

**B.C.A.(T)** लखनऊ, दिनांक ..... 199 .....

(पिन कोड नं.-227132)

महोदय

श्री रामचन्द्रपाल / कुलाधिपति के विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

महोदय,

B.Sc  
Home

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर बी०सी०ए० एवं बी०एस०सी०(होम साइंस) विषयों में दिनांक ०१.७.९९ से तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा ३१.१२.९९ तक मानक के अनुसार निर्धारित भूमि की व्यवस्था कर लेगी। इस आशय का शपथ-पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित कराके देना होगा।
२. संस्था की प्रबन्ध समिति को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
३. संस्था द्वारा निरीक्षण मण्डल के समक्ष अवस्थापना के संबंध में दिए गए आश्वासनों को पूर्ण कराये जाने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
४. उक्त सम्बद्धता स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नहीं है।

भवदीय,

( डा० हरशरण दास )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०-१८-ए, न्याय मार्ग, (हेस्टिंग्स रोड) इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज-सी-२२ मेरठ रोड, गाजियाबाद।
५. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

( डा० हरशरण दास )  
कुलाधिपति के विशेष सचिव।



चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4027  
दिनांक : 12.1.2012

सचिव,  
राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2887/सत्तर-2-2011-2(217)/2011, दिनांक 23.09.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाँव को बी0एस-सी0 (गृहविज्ञान) एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों/विषय (120-120 सीट) में स्ववित्त पोषित य अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी0एस-सी0 (गृहविज्ञान) एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों/विषय (120-120 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



पेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/99८ दिनांक १६/२३-१२-२००६ के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन राम चमेली चढढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- महाविद्यालय समस्त कमियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- शासनादेश संख्या-५१२५/सत्तर-२-२००५(१६६)/२००२ टी०सी० दिनांक २१-१०-२००५ तथा शासनादेश संख्या-५२६७/सत्तर-२-२००५-२(१६६)/२००२-५ टी०सी० दिनांक १६-११-२००५ का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
- ३- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर जायेगा।
- ४- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों का फोटोयुक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- ५- संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- ६- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ७- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


महाविद्यालय उपरोक्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।


भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-४६, शान्तिपथ, तिलकनगर, जयपुर।
- ४- प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चढढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।

  
Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

  
( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव



F. NRC/NCTE/F-3/UP-1910/2006/7877  
A P N O 2 1 3 8

Regd./Speed Post  
Date:

9 NOV 2006

**ORDER**

**Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector - 22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh** submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition for B.Ed. Course in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants recognition for **B.Ed. course** of One year duration w.e.f. the session 2006-2007 with an annual intake of 100 (One Hundred only) students to **Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(ii), Sector -22, Meerut, Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh** at the following address:-

**Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College,  
A-6(II), Sector -22, Meerut, Road,  
Ghaziabad, Uttar Pradesh**

3. The institution shall ensure the fulfillment of the following:-

- Selection of qualified staff through duly constituted selection committee as per the norms of NCTE/State Govt./ Affiliating University given effect before the commencement of the course.
- The institution shall maintain the teaching staff strength of 1+7 for the proposed B.Ed. Course.
- The institution shall note that with regard to NET/SLET requirement, the relaxation is allowed only upto the year 2009-2010 as per NCTE Regulation dt. 21.07.2006.
- The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- That the Reserve Fund for an amount of Rs. Three Lakhs be maintained in the form of FDR in favour of the management/institution.
- Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.
- The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the affiliating University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- The institution shall regularly update its website.

Contd. 2...

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)  
कार्यक्षेत्र : उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान

Phone No. : 0141-2623501 (O), Telefax No.: 0141-2620116 (RD)

Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan)  
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan

E-mail: nrc@ncte-in.org  
NCTE

website: http://www.ncte-in.org

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



B.Side

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1929  
दिनांक : 27.8.2013

सचिव,  
राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज,  
गाजियाबाद

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-1080/सत्तर-2-2010-2 (118)/94; दिनांक 20.07.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. सत्र 2009-10 शून्य होने के कारण छात्र सत्र 2010-11 हेतु आवंटित किये जायेंगे।
2. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2009-10 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव  
24/8/13

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव



प्रक,

B-61

संख्या-526/सत्तर-2-2006-2(118) अटीसी-11

(16)

आरमा राम वर्मा,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
कुलासिधायी,  
जी० धरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लग्नक्र:दिनांक: 17 अप्रैल, 2006

विषय:- राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद की भूमि परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक:संख्या/572, दिनांक 07-01-2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-5363/सत्तर-2-2004-2(118)/अटीसी-11, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004, जिसके द्वारा राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद को 10एड0 पाठ्यक्रम स्वयंसेवक शिक्षा योजना-तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कांतापथ शर्ती के अधीन अनापत्ति प्रदान की गयी है, के प्रस्तर-1 के बिन्दु-9 को विस्तृत करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित अंश को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान कर दी गयी है:-

उक्त पाठ्यक्रम का संचालन संस्थान द्वारा प्लाट संख्या-... इण्डस्ट्रियल एरिया, मेरठ रोड, गाजियाबाद में महाविद्यालय वर्ग गीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित करने पर यह आदेश स्तः निरस्त समझा जायेगा

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-5353/सत्तर-2-2004-2(118)/अटीसी-11, दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(आरमा राम वर्मा)  
अनु सचिव।

संख्या-526(1)/सत्तर-2-2006-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) उपाध्यक्ष, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद।
- (2) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-16, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आरमा राम वर्मा)  
अनु सचिव।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



F. No./NRC/NCTE/UP-1910/2015

8580-85

Date:

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE ON INDIA PART III SECTION 4

24 MAY 2015

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

2. AND WHEREAS, the recognition was granted by NRC to Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh for B.Ed. Course vide order No. F. NRC/NCTE/T-3/UP-1910/2006/7873-7882 dated 09.11.2006 with an annual intake of 100 seats w.e.f. the session 2006-2007.

3. AND WHEREAS, the institution Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh has by affidavit consented to come under New Regulations and sought for two basic units in B.Ed., which require additional facilities.

4. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have two basic units of 50 students each subject to the institution fulfilling following conditions namely.

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committee with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The application for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committee shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these condition by 20 February, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2015-2017.
- (iv) In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint already submitted along with the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order. The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

5. Now therefore, in the light of the above, the Northern Regional Committee, NCTE hereby issues the revised Recognition Order to Ram Chamli Chadha Vishyas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Road, District - Ghaziabad, State - Uttar Pradesh for conducting B.Ed. programme of two years duration with an annual intake of 100 for two basic units of 50 students each from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

6. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UOC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable. The affiliating body (University/State Govt.) shall also be required to verify the authenticity of the land & building documents as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 by the concerned institution before grant of affiliation to an institution.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

Cont. 2

कार्यालय : चौथी मंजिल, जीवन्मित्री शांति भवन, विद्या भवन, अंबेडकर सर्किल  
भदानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)  
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान  
Phone No. 0141-2744288, 2744635, Fax: 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Mishri, LIC Building, Ambekar Circle,  
Bhawani Singh Marg, Jaipur-302 005 (Rajasthan)  
Jurisdiction: U.P., Uttaranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, M.P., Rajasthan  
E-mail: nrc@ncte-india.org Website: www.ncte-india.org

Handwritten signature and date: 24/5/15

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



The institution shall maintain & update its website as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure.

- (a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution.
- (b) Name of the faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- (c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter.
- (d) Names of students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.
- (e) Fee charged from students.
- (f) Available infrastructural facilities.
- (g) Facilities added during the last quarter.
- (h) Number of books in the library, Journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter.
- (i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- (j) The institution shall be held responsible for any information furnished to the Regional Director.
- (k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.

If the institution contravenes any the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order  
*(Signature)*  
(Dr. S.K. Chandra)  
Regional Director

The Manager to Govt. of India,  
Department of Publications, (Gazette Section)  
Civil Lines, Delhi - 110 054

Copies to:

1. The Principal, Ram Chamlil Chadda Vishwas Girls P.G. College, A-6(H), Sector-22, Meerut Road, District-Ghaziabad, State - Uttar Pradesh.
2. The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
3. The Director, Directorate of Higher Education, I.C. Teacher Education, Govt. of U.P., Directorate, Allahabad, U.P.
4. The Secretary, Education, Govt. of Uttar Pradesh, Secretariat, Lucknow, U.P.
5. The Registrar, Chaudhary Charan Singh University, University Road, Meerut-200003, Uttar Pradesh.
6. The U.S. (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
7. [www.ncet.nic.in](http://www.ncet.nic.in) file

Regional Director

*(Signature)*  
24/7/16

*(Signature)*  
Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



(7) B.A  
13

**चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक : सम्बद्धता/ 2988  
दिनांक : 12-11-21

**सम्बद्धता आदेश**

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के आलोक में राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को कला संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Principal

R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)





ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

दिनांक: 20/05/2022

दर्भ संख्या: CHARANUNI/संब 684/2022

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 20/05/2022) से RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD को UG स्तर पर

Course Name	Subject Name
1 BCOM HONOURS (2022-2023)	BCOM HONOURS

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 "The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction" की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संतुष्टि की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से प्रारम्भ कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिबोध प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।





M.Sc(T)

दूरभाष : P.B.X. 762021, 22, 24, 763323

# चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut.

तपिय,  
कुलाधिपति महोदय  
राजमन्, गजनक।  
\*\*\*\*\*

सम्बन्ध/203/1/  
पत्रांक .....  
दिनांक 22-06-2000

**विषय:-** राममैली पढडा विद्यालय गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद में विज्ञान संकाय के अर्न्तगत स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस-सी. (स्थापन विज्ञान) पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बन्धता के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

अपूर्वक विषय पर शासन के वन सं. 0-62/तत्तर-2-2000-2/163/99  
13-03-2000 के तन्दर्भ में राममैली पढडा विद्यालय गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद को  
पोषित संस्था के अर्न्तगत एम.एस-सी. (स्थापन विज्ञान) पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बन्धता  
सम्बन्ध, प्रमाण, एवं अन्य आवश्यक तथ्याङ्कों की जांच हेतु कुलपति जी ने दिनांक 27-3-2000  
को प्रो. एम.एस. गाजियाबाद, तदन्तर्गत कार्यरिष्य के संयोजकत्व में एक निरीक्षक मण्डल का गठन  
किया। निरीक्षक मण्डल ने संस्था विद्यालय का दिनांक 07-06-2000 स्वम् 12-06-2000 को  
निरीक्षण कर अपनी आठवा विचारार्थ प्रश्न की है तथा अपरोक्त पाठ्यक्रम को स्वचित्त  
परीक्षा परीक्षण के अर्न्तगत अस्थायी सम्बन्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति की है।  
निरीक्षक मण्डल की आठवा संलग्नकों सहित संलग्न है।

अपरोक्त निरीक्षक मण्डल की आठवा स्वम् संस्तुति पर कुलपति जी ने सम्बन्ध  
विचारोपरान्त कार्यरिष्य की स्वीकृति की परन्तु शासन में निरीक्षक मण्डल की आठवा संस्तुति  
सहित कुलाधिपति महोदय को अस्तारित करने का निर्णय लिया है।

आप अपरोक्त निरीक्षक मण्डल की आठवा स्वम् संस्तुति तथा कुलपति जी के निर्णय  
के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि उक्त संस्था विद्यालय को एम.एस-सी. (स्थापन विज्ञान)  
पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बन्धता के अर्न्तगत विद्यालय विनियम 1973 की धारा-  
37(2) के अन्तर्गत अस्थायी सम्बन्धता हेतु कुलाधिपति महोदय को स्वीकृति/अनुमति प्रदान  
कराने की कृपा करें तथा कुलाधिपति महोदय के निर्णय से भी अज्ञात कराने की कृपा करें।

सादर,  
संलग्नक : अपरोक्तानुसार ।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

भारतीय,

सी. सी. सिन्हा  
कुलाधिपति

**प्रतिनिधि:-**

1. तपिय, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, 20000 शासन, गजनक को सादर सूचनाार्थ एवं अज्ञात कराने के लिये प्रेषित।
2. प्रार्थार्थ/तपिय, राममैली पढडा विद्यालय गर्ल्स कॉलेज, गाजियाबाद को प्रेषित।



प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

रोवा में,

कुलसचिव,  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता ४३३/ दिनांक ३.७.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत एम.एस.सी.(रसायन) विषय में स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाये अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिवPrincipal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



M. Se (chen) P

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

17

संख्या-ई.स. 794 / जी.एस.  
दिनांक: 23/06 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,  
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्रांक: सम्बद्धता/36 दिनांक 90/28-08-2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1963 की धारा-37 (2) के अधीन राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में एम०एस-सी० रसायन विज्ञान पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-


- 1- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2549/सत्तर-2-2003-1 (62)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1963 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।


भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक/प्राचार्य, राम चमेली चड्ढा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।

  
Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

  
( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव





पत्रांक : सम्बद्धता/3698

दिनांक : 16.11.2017

**सम्बद्धता आदेश**

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देश एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 12.08.2017 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2017 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

कुलसचिव



चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1903  
दिनांक : 08.07.2019

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिदमावली/अध्यादेश में उर्ध्वत तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 08.06.2019 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, मेरठ रोड़, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Recd 27/73  
21-9/719  
[Signature]

[Signature]  
कुलसचिव



चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2987  
दिनांक : 12-11-21

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0 (गणित) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियाँ यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में सम्य-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 22.09.2021 के आलोक में राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी0 (गणित) पाठ्यक्रम (एक सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2021 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, राम चमेली चड्डा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



(11) (21)  
Muey

**चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ**  
**Ch. Charan Singh University, Meerut**



पत्रांक : सम्बद्धता/3096  
दिनांक : 22/8/2022

**सम्बद्धता आदेश**

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राम चमेली चड़ड़ा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम (50 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार एम0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
02. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
03. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 05.07.2022 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार राम चमेली चड़ड़ा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एम0एड0 पाठ्यक्रम (50 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, राम चमेली चड़ड़ा विश्वास गर्ल्स कालेज, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
8. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल हेतु।

Principal  
R. C. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)





TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART-III, SECTION 4

F.No. NRC/NCTE/NRCAPP-10467/287<sup>th</sup> Meeting /2018/195701

Dated: 1/02/2018

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1)/15(1) of the NCTE Act, 1993, the institution had submitted application online on 20.05.2015 to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for Teacher Education Course.

AND, WHEREAS on scrutiny/perusal, veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography and also the reply submitted by the institution in compliance to the decision of clause 7(13) of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time the Northern Regional Committee having satisfied itself that the institution fulfils the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and the extant Regulations including the Norms and Standards for the proposed Teacher Education course, such as, instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc for running the course and has selected/appointed qualified teaching staff as per norms duly approved by the affiliating body, decided to grant recognition/ permission to the institution in its 287<sup>th</sup> meeting held from 18<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> July, 2018 for M.Ed. course.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a)/15(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to the following institution for conducting Teacher Education programme with an annual intake mentioned against its name from the academic session 2019-2020 under clause 7(16) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014, as amended from time to time, subject to fulfilment of the conditions mentioned below:-

Sl. No.	File No.	Name and address of the Institution	Course	Duration	Approved annual intake	Name of the Affiliating Body
1.	NRCAPP-10467	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Land Title A-6(II), Street No. Sector 22, Post Office Guldhar Meerut Road, Town/City - Ghaziabad, Dist. Ghaziabad, (UP) 201003	M.Ed.	2 years	50 (01 unit)	Choudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh


4. The other important details of the institution are as under:-

Name of the Sponsoring Society	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Society
Name and address of the composite institution	Ram Chameli Chadha Vishvas Girls P.G. College, A-6(II), Sector-22, Meerut Uttar Pradesh
Course being run as a composite institution	B.Ed.
Phone Number / E-mail address of the institution	9999399951/ rccvpcollege10@gmail.com

5. The institution shall adhere to the fulfillment of the provisions of the NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time, and ensure the following before commencement of the session:-

- (i) The institution shall comply with various other norms and standards prescribed in the NCTE Regulations, as amended from time to time

लय: जी-7, सेक्टर-10, (नियर मेट्रो-10 मेट्रो स्टेशन) द्वारका,

  
Office, G-7, Sector-10, (Near Sector-10 Metro Station) Dwarka,  
K. C. V. Girls College  
Ghaziabad (U.P.)



- (ii) The institution shall make admissions only after it obtains affiliation from the examining-body in terms of Clause 8(10) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014.
- (iii) The institution shall comply with condition laid down in clause 8(3) of the NCTE Regulations, 2014 as amended vide Notification on 29.04.2017 which provides as under:
  - An institution, which has been recognised by the Council shall obtain accreditation from an accrediting agency identified by the Council within five years of the date of recognition.
  - All existing Teacher Education Institutions which have not been accredited so far or have not been accredited within five years from the date of its recognition shall be required to get themselves accredited by the aforesaid accrediting agency within a period of one year from the date of notification of these Regulations.
  - The accreditation once obtained shall be valid for a period of five years and the recognised and already accredited Teacher Education Institutions shall be required to get accreditation renewed by the agency identified for the purpose by the Council before the lapse of the earlier accreditation.
- (iv) The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- (v) The Norms for teaching staff in respect of their qualifications and experience shall be as per provisions of NCTE Regulations, 2014, as amended from time to time.

6. Further, the recognition is subject to fulfilment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, State Government etc. as applicable, and compliance of the following by the affiliating body, State Govt and also the concerned recognised institution:-

- (i) The affiliating body/State Govt. shall be required to verify the authenticity of the land & building documents submitted by the institution, with the required land & built up area as well as appointment of requisite teaching & non-teaching staff as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 before grant of affiliation to the institution.
- (ii) The affiliating body shall ensure that the institution is a composite institution as per definition of a "composite institution" given in the NCTE Regulation, 2014. If at any stage, it is found that the institution is not a composite institution, the recognition granted shall be treated as withdrawn and the sole responsibility of the same will be of the institution. However, the existing stand-alone institutions shall gradually move towards becoming composite institutions.
- (iii) The NOC of the affiliating body and staff approval thereof submitted by the institution, if found fake, at any stage, the recognitions granted shall be treated as withdrawn, and the sole responsibility of the same will be of the institution.

7. The institution shall submit a Self-Appraisal Report to the Regional Committee at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant

8. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and display as mandatory disclosure the following:-

- (i) Copy of Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition Order
- (v) Information regarding fulfillment of norms & standards and other conditions for the course

Principal   
 R. C. C. V. Girls College  
 Ghaziabad (U.P.)

In case if the land is in the name of the institution, the institution shall submit a copy of the land title deed to the Council.




- 10. The Educational Institution shall follow Uniform Accounting System as brought out by ICAI and ac by the MHRO.
- 11. The Institution shall fill the GIS Application within one month from the date of issue of this order.
- 12. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules & Regulations, the Regional Committee shall withdraw recognition under provisions of Section 17(1) of the Act, 1993.
- 13. Further, if the institution is not satisfied with the Order, it may prefer an Appeal under Section 13 of NCTE Act, 1993 through "online mode" available on NCTE's website [www.ncte-india.org](http://www.ncte-india.org) within 60 days from date of issue of this order. The guidelines for filing appeal may be seen on NCTE's website

By Order  
 (Satish Chandra)  
 Regional Director

The Manager  
 Govt. of India Press  
 Department of Publications (Gazette Section)  
 Civil Lines, Delhi - 110 054

Copy to:-

1. The Principal, Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Plot No. Nil, Street No. - Sector 22, Village- Nil, Post Office- Guldhar Meerut Road, Tehsil/Taluka-0, Town/City- Ghaziabad, District- Ghaziabad (UP), State Uttar Pradesh, Pin Code- 201002	
2. The Manager/Secretary, Ram Chameli Chadha Vishvas Girls College, Society, Plot No. A-6(II), Sector 22, Street No.- Meerut Road, Village- Ghaziabad, Post Office- Guldhar Meerut Road Ghaziabad, Tehsil/Taluka- Ghaziabad, Town/City-Ghaziabad, District- Ghaziabad (UP), State Uttar Pradesh, Pin Code- 201002	
3. The Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Ground Floor, Room No. 2, Sachiv Bhawan, Secretariat, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.	With a request to ensure compliance of the terms & conditions as laid down above by the institution.
4. The Registrar, Choudhary Charan Singh University, Meerut, Uttar Pradesh	1. With a request to ensure veracity of the NOC & approval of the staff issued to the institution and also to ensure that the admissions are made by the institution as per size of the unit and intake mentioned in the recognition /permission order and compliance of other terms and conditions as laid down above.

  
 Principal  
 R. C. V. Girls College  
 Ghaziabad (U.P.)





25

ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

संख्या: CHARANUNI/संव/2851/2022

दिनांक: 26/05/2022

**अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश**

10 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 संव 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की मति (दिनांक: 20/05/2022) से RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD PG स्तर पर

Course Name

Subject Name

MASTER OF SCIENCE (2022-2023)

ZOOLOGY

प्रकार में स्विकृत/प्रतिपाद्य/उत्तरागत दिनांक: 01/07/2022 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जायेगी:-

संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30\*\* The Executive Council may direct a college not to admit students to a particular class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction\*\* की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।

संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में शासनादेशों के अन्तर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

सूची में जिन संस्था/महाविद्यालयों के सम्बन्धित सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा संचालन करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से स्पष्ट होकर उचित रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की पूर्ति निरन्तर पूरी कर रहा है।

यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में उल्लिखित शासनादेशों/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जायेगा तो संस्था/महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Principal  
Ghaziabad (U.P.)

महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।



26

शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

का संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते त, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय की अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

कुल सचिव

लेपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

जी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

शेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-..., उ०प्र० शासन, लखनऊ।


त्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghaziabad मण्डल,

बन्धक, RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD को इस आशय से प्रेषित है सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

रीक्षा नियंत्रक, RAM CHAMELI CHADDA VISHVAS GIRLS DEGREE COLLEGE, GHAZIABAD, Ghaziabad

सचिव कार्यालय।

सम्बन्धित पत्रावली।

  
कुल सचिव  
